

those who wish to avail of them.

- (2) If a private doctor is engaged for this purpose he should be compensated for it. Private doctors performing sterilization operations in camps organised by the State Governments should be compensated:

(a) In case of operation on males at the rate of Rs. 100/- for 10 operations and above in a single day. This will include honorarium for their professional service, use of their equipment and transport. This also includes any payment that the surgeon may like to make to his assistant whom he may bring with him and on his transport.

(b) For operations in females at the rate of Rs. 100/- for five tubectomies.

- (3) Free facilities for sterilization should be available both in urban and rural areas.

(4) No monetary incentives should be paid either to convassors or to those undergoing sterilization operations.

(5) A payment of Rs. 5/- per case for transport etc. of the patient and the person accompanying may be made. Another Rs. 5/- per case may be given for drugs, dressing and food.

(6) Those who are sterilised should be compensated by special leave on full pay if in service and for the self employed labourers, agriculturists etc. who cannot afford to be absent from work, a compensation for loss of wages at the rate of Rs. 2/- per day for 5-6 days may be given.

### सरकार/री क्वार्टरों का पुनर्वर्गीकरण

\*४८०. श्री गिरिराज किशोर कपूर :  
क्या निर्माण तथा आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने १ अप्रैल, १९६३ से सरकारी क्वार्टरों का पुनर्वर्गीकरण कर दिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस पुनर्वर्गीकरण के परिणामस्वरूप हजारों कर्मचारियों को पहले की अपेक्षा कम स्थान वाले क्वार्टर मिलेंगे, हालांकि उन्हें किराया पहले जितना ही देना पड़ेगा ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने क्वार्टरों का यह पुनर्वर्गीकरण गैर सरकारी मकान मालिकों की तरह अधिक किराया वसूल करने के लिये किया है ?

### †[RECATAGORISATION OF GOVERNMENT QUARTERS]

\*480. SHRI G. K. KAPOOR: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have recategorised the Government quarters with effect from 1st April, 1963;

(b) whether it is also a fact that as a result of this recategorisation, thousands of employees will get quarters having lesser accommodation although they will have to pay the same rent that they were paying previously; and

(c) if so, whether Government have done this categorisation in order to secure more rent to fall in line with the private landlords?]

निर्माण तथा आवास मंत्री श्री मेंहर-  
चन्द खन्ना) (क) जनरल पूल के मकानों

† [ ] English translation.

को मई १९६३ में दुबारा कैटेगोराइज किया गया था ।

(ख) और (ग) चूँकि सरकार ने मख्तलिफ सरकारी मुलाजिमों को दिये जाने वाले नये मकानों का फ्लोर एरिया बदल दिया था और उस हिसाब से पुराने मकानों का फ्लोर एरिया ज्यादा था इसलिए यह जरूरी हो गया कि सब मकानों को नये तरीके से कैटेगोराइज किया जावे ताकि लोगों को भेद भाव न मालूम हो, इसी कारण मकानों की नई कैटेगरी के मुताबिक तनख्वाह के आधार पर नये ग्रुप बनाये गये । मकानों का किराया फंडामेंटल रूल ४५ए के मुताबिक ही वसूल किया जाता है ।

†[THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING (SHRI MEHR CHAND KHANNA): (a) Residences in the general pool were recategorised in May, 1963.

(b) and (c) Recategorisation became necessary in view of the revised scales prescribed by Government for construction of residential accommodation and to remove disparity in the size of accommodation in old houses having larger plinth areas and the new ones built on austerity scales. In the process, the pay ranges for various types of residences have also been altered. Rent continues to be recovered in accordance with the provisions of Fundamental Rule 45-A.]

**चीनी के उत्पादन शुल्क की वसूली का रोक़ा जाना**

\*४८१. श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरङ्गिया : क्या वित्त मंत्री २३ सितम्बर, १९६४ को राज्य सभा में अतारंकित प्रश्न संख्या ५६२ के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के ५२ चीनी के कारखानों से वर्ष १९६२-६३ और १९६३-६४ के उत्पादन शुल्क का जो बकाया लेना था,

उसकी वसूली के बारे में अदालतों द्वारा स्टे आर्डर किन-किन आधारों पर दिया गया था, और

(ख) इस सम्बन्ध में अब क्या स्थिति है ?

†[EXCISE DUTY ON SUGAR STAYED

\*481. SHRI V. M. CHORDIA: Will the Minister of FINANCE be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 562 in the Rajya Sabha on the 23rd September, 1964 and state:

(a) the grounds on which stay orders were issued by courts in regard to the recovery of excise duty for the years 1962-63 and 1963-64 from the 52 sugar mills in India; and

(b) what is the present position in this regard?]

**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहु) :** (क) और (ख). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

**विवरण**

(क) २३ सितम्बर, १९६४ को राज्य सभा अतारंकित प्रश्न संख्या ५६२ के उत्तर में यह बताया गया था कि प्रभावित चीनी की मिलों ने या तो विधि न्यायालयों में शुल्क के लिए मांगों पर प्रतिवाद किया है और स्टे आर्डर प्राप्त कर लिये हैं अथवा सम्बन्धित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष अपीलें आदि दायर की हैं ।

उस उत्तर के अनुबन्ध में ५२ चीनी मिलों के बारे में व्यौरे दिये गये थे । ये सभी न्यायालय मामले नहीं हैं । न्यायालयों ने केवल ३० मामलों में स्टे आर्डर जारी किये हैं जिनमें २८ मामले कार्बन डाई-आक्साइड पर शुल्क की वसूली से सम्बन्ध रखते हैं और दो मामले चीनी पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सम्बन्धी मांगों से सम्बन्ध रखते हैं ।